

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वीं बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 843वीं बैठक दिनांक 05.04.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11233/2024	1 (a)	पन्ना	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	11234/2024	1 (a)	पन्ना	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं		निरस्त
3.	11235/2024	1 (a)	पन्ना	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	11236/2024	1 (a)	पन्ना	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		निरस्त
5.	11249/2024	1 (a)	बालाघाट	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
6.	11250/2024	1 (a)	आगर-मालवा	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं		निरस्त
7.	10442/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		स्पष्टीकरण
8.	10795/2023	1 (a)	मन्दसौर	पत्थर, एम-सेण्ड एवं मुरम खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		स्पष्टीकरण
9.	10803/2023	1 (a)	मन्दसौर	पत्थर, एम-सेण्ड एवं मुरम खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		स्पष्टीकरण
10.	10855/2023	1 (a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	For ToR		स्वीकृत
11.	10443/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
12.	10649/2023	1 (a)	धार	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	10828/2023	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
14.	10445/2023	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति		Close

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वीं बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

15.	10699/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	10818/2023	1 (a)	पन्ना	फर्शीपत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
17.	10736/2023	1 (a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
18.	10562/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	10273/2023	1 (a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
20.	10302/2023	1 (a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21.	10303/2023	1 (a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
22.	10729/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा नहीं	निरस्त
23.	10730/2023	1 (a)	डिण्डोरी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	10750/2023	1 (a)	विदिशा	फर्शीपत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	10751/2023	1 (a)	राजगढ़	खदान व एम -सेण्ड खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	10637/2023	1 (a)	सतना	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	10725/2023	1 (a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
28.	10328/2024	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
29.	10858/2023	1 (a)	अलीराजपुर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
30.	10816/2023	8 (a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
31.	11224/2024	1 (a)	धार	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा नहीं	निरस्त
32.	1301/2013	1 (a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
33.	6233/2020	1 (a)	मंडला	डोलोमाईट खदान	ToR अवधि वैधता विस्तार	स्वीकृत
34.	9934/2023	1 (a)	पन्ना	फर्शी पत्थर व एम सेण्ड खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
35.	10647/2023	1 (a)	डिण्डोरी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
36.	10459/2023	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
37.	10875/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण**

38.	9347/2022	1 (a)	जबलपुर	पत्थर व मुरुम खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
39.	10869/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
40.	10870/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
41.	10879/2023	1 (a)	भोपाल	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
42.	10503/2023	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
43.	10678/2023	1 (a)	सीहोर	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
44.	10805/2023	1 (a)	भोपाल	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र. 11233/2024 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री दम्भू रायकवार पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.75 हेक्टेयर, (खनन योग्य उपलब्ध रकबा 1.0 हे. SEAC द्वारा अनुसंशित) खसरा 127, ग्राम सिमरा बहादुर तहसील पवाई जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ परिलक्षित हो रहा है। जिससे रेत उत्खनन हेतु न्यूनतम एरिया ही उपलब्ध होता है। जलमग्न एरिया में 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्खनन किया जाना संभव होगा कि नहीं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को भेजा जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 11234/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री दम्भू रायकवार, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.17 हेक्टेयर, खसरा 485, ग्राम पिपरिया डॉन, तहसील पवाई जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा नहीं की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से 37 मी. पर रोड ब्रिज है, जो मेजर ब्रिज है, Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।...."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 11235/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री दम्मू रायकवार, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 27000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, (रकबा 3.41 हे. SEAC द्वारा अनुसंधित) खसरा 02, ग्राम कैथी, तहसील पवाई जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ परिलक्षित हो रहा है। जिससे रेत उत्खनन हेतु न्यूनतम एरिया ही उपलब्ध होता है। जलमग्न एरिया में 27000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत का उत्खनन किया जाना संभव होगा कि नहीं है। अतः उपरोक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को भेजा जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 11236/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि अधिकृत व्यक्ति श्री दम्मू रायकवार, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम जिगनी, तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

  
(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 929 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं होना बताया गया है। जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मी. की परिधि में 1 अन्य खदान होना परिलक्षित है। प्रस्तावित खदान का रकबा 5.0 हे. तथा 500 मी. की परिधि में 1 अन्य (होमोजीनियस) खदान हाने से कुल रकबा 5 हे. से जादा होने से क्लास्टर की स्थिति निर्मित हो रही है, के दृष्टिगत प्रकरण बी-1 श्रेणी का होना प्रतीत हो रहा है। अतः प्रकरण निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 11249/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री पूरन लक्ष्कार, अधिकृत व्यक्ति पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 30182 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 144, ग्राम धपेवाड़ा, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 11250/2024 परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री राधाकृष्ण नैआर, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.640 हेक्टेयर, खसरा 01, 580, ग्राम दीवानखेड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा नहीं की गई है।

"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में 200मी. पर पक्का रोड ब्रिज है, जो मेजर ब्रिज है, Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


7. प्रकरण क्र. 10442/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स माईना अभभूते, निवासी ग्राम - नाहईया, तहसील बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 11,191 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 51, ग्राम - नाहईया, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ है, लीज क्षेत्र में केशर इकाई स्थापित है एवं लीज

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

के समीप कंटूर ट्रेन्चेज परिलक्षित है। अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ दस्तावेज सहित प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10795/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश माली, निवासी मकान सीआर. 104, वार्ड 02, हनुमान मंदिर के पास, दलोदारेल, जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एम-सेण्ड एवं मुरम खदान उत्पादन क्षमता (पत्थर 2100, एम-सेण्ड 5250, मुरम - 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 1355/1, ग्राम धुंधारका, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1590 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मी. की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है, जिससे कारण प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5 हे. से अधिक होना परिलक्षित है। अतः कलेक्टर जिला मंदसौर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृत खदानों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 10803/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जैन, निवासी मकान नं. 930, वार्ड सदर बाजार, सुवासरा जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एम-सेण्ड एवं मुरम खदान उत्पादन क्षमता (पत्थर 5940, एम-सेण्ड 15190, घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 80, ग्राम अंतरालिया, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 27/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मी. की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है जिस कारण प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होना प्रतीत होता है साथ ही लीज क्षेत्र में कंटूर ट्रेन्चेज होना भी परिलक्षित है। अतः उपरोक्त के संबंध में कलेक्टर जिला मंदसौर से स्पष्ट जानकारी/अभिमत प्राप्त की जाये। साथ ही परियोजना प्रस्तावक से ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के पंजीयन रजिस्टर की प्रति भी प्राप्त की जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10855/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय महावीर मिनरल्स, निवासी प्लॉट नं. 14, मिसल लेआउट, नागभूमि सोसायटी, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25006 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.420 हेक्टेयर, खसरा 5पी, 13पी, 14पी ग्राम चापरवाह, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728 वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 728 वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में पूर्व में हुई खुदाई के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



11. प्रकरण क्र. 10443/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राज परिहार, निवासी टैगोर वार्ड, गांधी नगर कालोनी, बैतूल गंज, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 11400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 104/1 ग्राम सराद, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 119602-03 दिनांक 22.10.2014 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 21.10.2024 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


12. प्रकरण क्र. 10649/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेश चन्द्रा पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेश हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 406, ग्राम रामपुरा, तहसील कुकशी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 100 मी. लम्बा एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वीं बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण**

civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

**13. Case No 10828/2023:** Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Project "Laabham Highlights" in an area of 0.9085 ha. (62462.40 sq.m.) (Khasra No.), Village-Barawagrada, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP) by Shri Vinay Solanki, Director, M/s Samrddhi Civicon Private Ltd, 15/2, Old Palasia, Near Laskhya Regency Building, District-Indore (MP)-452001 Env't. Consultant: M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P.

1. उक्त प्रकरण 0.9085 हेक्टेयर क्षेत्र प्लॉट नंबर बी-11, सेक्टरबी, आईडीए स्कीम नंबर 151, सुपर कॉरिडोर इंदौर, मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक परियोजना "लाभम हाइलाइट्स" प्रस्तावित निर्माण 62,462.40 वर्ग मी हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।
2. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000 वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
3. एरिया डेवलपमेंट 151 स्कीम सुपर कॉरिडोर इंदौर को MPSEIAA द्वारा 8(b) श्रेणी के अंतर्गत पत्र क्रमांक 770/SEIAA/2017 दिनांक 20/06/2017 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।
4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 728वीं दिनांक 05.03.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 28 से 40 तक अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/451104/2023
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 710th meeting dated 05.01.2024,
Location of the Project	22°45'20.99"N 75°48'18.88"E 22°45'18.99"N 75°48'17.40"E
Total plot area	Total Plot Area: 10395.68 sq.m. Net Plot Area: 10389.22 sq.m.
Total Built-up Area	Total Built up Area – 62462.40 m <sup>2</sup>
Facilities proposed	Total No. of offices- 183 Nos., Showroom- 184 Nos Restaurant- 04 Nos and Cafe 06 Nos
Total Water Requirement	The total water requirement during operation phase is 209.56 KLD out of which 97.23 KLD is fresh water requirement. and
Fresh Water	97.23 KLD
Waste water generated	161.05 KLD
Recycled Water	144.84KLD will be the total recycled water, out of which 83.27 KLD recycled water will be used for flushing, 9.06 water for horticulture & 20 KLD will be used for HVAC.

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण**


Capacity & Technology of STP	180 KLD MBBR
RWH	02 RWH structures proposed
Solid Waste Generation	Total waste 1381.80Kg/day, this consist all types of wastes (as Organicwaste 823.08 Kg/day and non- organic waste 411.54 Kg/day), Inert waste 137.18 Kg/day, E- waste 1122.12Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
Building Height	28.93 as per building Permission
Parking	Total Proposed Parking: 716 ECS Basement Parking
Railway Station: Nearest Airport:	Railway Station –8.1 km, SSW Indore Airport – 3.16 KM SSW
Project Cost	INR – 48 Cr.
EMP Cost	PP has proposed Rs.524 Lacs as capital and Rs. 52 Lacs as recurring cost for this project.
CER Cost	PP has proposed Rs96Lacs under Corporate Environment Responsibility(CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	9000 KVA Source of Supply Madhya Pradesh PoorvKshetraVidyutVitaran Company Ltd. (MPPKVCL) 01 Diesel power generating set of 120 kVA
Greenbelt area	21295 sq.m (12.45%) • 16 trees are existing in the project site, out of which 03 trees of Babool shall be uprooted.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 728 वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्व सम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदुं से ix विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (SEIAA की 840वीं बैठक दनामक 27.03.2024 के परिशिष्ट-2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i- परियोजना के जल आपूर्ति हेतु नगर निगम एवं इंदौर विकास प्राधिकरण के समन्वय से निहित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- ii- सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से प्राप्त अनुमति के अनुसार समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
- iii- परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित कियाजाये।

  
(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण

- iv- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 (यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। भवनों के चारों ओर फायर ब्रिगेड के वाहन को घूमने हेतु पर्याप्त चौड़ाई के मार्ग बनाना अनिवार्य होगा।
- v- परियोजना स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने हेतु पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग पाईट रखा जावेगा। प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- vi- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार पार्किंग 716 ECS प्रस्तावित की गई है अतः प्रस्तावित अनुसार 716 ECS हेतु बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पार्किंग का एरिया किसी अन्य कार्यों हेतु उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए।
- vii- परियोजना में पार्किंग का एरिया बेसमेंट में प्रस्तावित है जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे आस-पास के अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धनहानि न हो।
- viii- प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- ix- परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्माण कार्य हेतु civil aviation से अनुमति प्राप्त की जाये।


14. **Case No 10445/2023:** Prior Environment Clearance for Proposed construction of affordable housing project "Kshipra Parisar" under PMAY in an area of 3.788 ha. (53605.83 Sq.m.) (Khasra No. 16), Village-Buraniya, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP) by Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)- 452007


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 728 वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 में प्रकरण को निम्नानुसार निर्णीत किया गया है :-

"The case was scheduled for the presentation wherein Environmental consultant stated that "Indore Municipal Corporation" is proposing construction of Affordable Housing Project "Kshipra Parisar" under PMAY Scheme at Khasra no. 16, Village-Bada Bangarda, Tehsil Malharganj, District-Indore, MP. But due to area change in area, PP wants to withdraw their proposal. In this regard a letter has already submitted by PP vide dated 12.09.2023 Committee after deliberations decided that on the request of PP case may be considered for withdrawal and same may be sent to SEIAA for onward necessary action".

उपरोक्त निर्णय को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को close किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व सम्बंधित को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वीं बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

15. प्रकरण क्र. 10699/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हरदयाल सिंह, आत्मज श्री लाल सिंह निवासी ग्राम मकडावन तहसील मड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपेनकास्ट मैकनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 14820 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1082/1, ग्राम धूमाहेड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 728वीं बैठक दिनांक 05.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 11430 दिनांक 28.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 27.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य हेतु अनुशंसित रकबा 1.0 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जायेगा संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 10818/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय मॉ शारदा ट्रेडर्स, प्रो. श्री विकास नारायण, निवासी- ग्राम रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर एवं एम.सेंड खदान, (ओपेनकास्ट मैकनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता फर्शीपत्थर 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 3838, ग्राम अतरहाई, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 373 दिनांक 29/02/24 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कुल 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकल प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। अतः सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 10736/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अलकेश बाकलिया आत्मज श्री छत्तरसिंह बाकलिया, निवासी- रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 26,200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.40 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 43, 44, 55, ग्राम भीमफलिया, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 704वी बैठक दिनांक 19.12.2023 एवं 728 वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर का पत्र क्रमांक 164 दिनांक 20/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकल प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। अतः सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 10562/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पर्वत सिंह तोमर, मेसर्स तोमर बिल्डर्स एंड कान्ट्रेक्टर प्रा. लिमि. निवासी ए-1/8, विनय नगर, सेक्टर - 4, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 150000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 290 ग्राम कैरुआ, तहसील भितरवारा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

SEAC की 691 बैठक दिनांक 18.10.2023 में उक्त प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 677 दिनांक 12/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें स्वीकृत होना बताया गया जिनको मिलाकर कुल रकबा 13.70 हे. होता है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 677 दिनांक 12/04/2023 में 500 मी. की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित होना नहीं बताया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


19. प्रकरण क्र. 10273/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र सिंह मान, पार्टनर, मेसर्स त्रिमूर्ति इन्टरप्राइजेस, 190, अजयबाग कालोनी, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 13/5, ग्राम पीपलखुर्द, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर इन्दौर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, साथ ही प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में भी स्पष्ट अभिमत प्राप्त की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि-स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 10302/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री चन्द्रभान यादव, पार्टनर, मेसर्स सदगुरु साईं ग्रेनाइट, निवासी सत्यदेव नगर, गांधी रोड़, 301, सत्यम रेसीडेन्सी अपार्टमेन्ट, ग्रिड, आर.के.पुरी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.53 हेक्टेयर, खसरा 2846, ग्राम थानेरा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र में केशर स्थापित है, तथा प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परिक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


21. प्रकरण क्र. 10303/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री चन्द्रभान यादव, पार्टनर, मेसर्स सदगुरु साईं ग्रेनाइट, निवासी सत्यदेव नगर, गांधी रोड़, 301, सत्यम रेसीडेन्सी अपार्टमेन्ट, ग्रिड, आर.के.पुरी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.84 हेक्टेयर, खसरा 2842/2, ग्राम थानेरा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर शिवपुरी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि-स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. 10729/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश ठाकुर, निवासी वार्ड नं. 7, देवी मोहल्ला, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7684 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा 166/3, ग्राम घोदिया नई, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा नहीं की गई है।

"...प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि उत्तर दिशा- पक्का रोड लगभग 40 मी. की दूरी परस्थित है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा नियमानुसार पक्का रोड से 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जाता है तो लीज एरिया समाप्त हो जाता है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।..."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


23. प्रकरण क्र. 10730/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भीम अवाधिया, निवासी नर्मदागंज, तहसील व जिला डिण्डौरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5005 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 99, ग्राम गणेशपुर, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) डिण्डौरी का आदेश क्र. 667 दिनांक 03.05.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 02.05.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


24. प्रकरण क्र. 10750/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शिवकुमार यादव लीज निवासी म.न. 1041, वार्ड नं. 18, संजय नगर, तहसील पठारी जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3060 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 805/4, ग्राम बारोह, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वी बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729वी बैठक दिनांक 06.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा का पत्र क्र. 955-64 दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 03.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. विदिशा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़ों से अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए SEAC की अनुशंसा अनुसार 0.70 हेक्टेयर क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 10751/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पलाश विजय आत्मज नरेन्द्र कुमार विजय निवासी वार्ड नं. 13, नेक नं. 3, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान व एम -सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 2579, एमसेण्ड 4421 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1/2, ग्राम राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का पत्र क्र. 505 दिनांक 03.07.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 02.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन सक्रियता आरंभ की जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 10637/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सूर्या चौरसिया, निवासी वार्ड 07, पुरानी बस्ती, मैहर, हनुमान मंदिर के पास, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.736 हेक्टेयर, खसरा 504, 527, 538, 540/1, 541/1, 542/2, 545 ग्राम बठिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना का लीज अनुबंध दिनांक 12.09.2017 के माध्यम से 10 वर्ष के लिये लीज स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 11.09.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 10725/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रघुनंदन सिंह, निवासी 86, लक्ष्मी नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5820 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.90 हेक्टेयर, खसरा 851, ग्राम झाकेला, तहसील रामा, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वीं बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर झाबुआ से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारों ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि-स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 10328/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमति संगीता अग्रवाल, निवासी बस स्टैण्ड के पास, पृथ्वीपुरा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष (पूर्व DEIAA EC अनुसार), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1344/2 ग्राम भोपालपुरा, तहसील पृथ्वीपुरा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 17485-87 दिनांक 04.11.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 03.11. 2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. निवाड़ी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 01 वृक्ष को काटे जाने के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों एवं उनके संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 10858/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक गेहलोद आत्मज श्री रमेश चन्द्र गहलोद निवासी - 23-ए केशव नगर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3135 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 46/1, ग्राम बयडिया, तहसील सोण्डवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अलीराजपुर का पत्र क्र. 203 दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से 10 वर्ष के लिये लीज स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 24.03.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

30. प्रकरण क्र. 10816/2023 Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse "Shivaay Logi Space" in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259/1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (MP) By Shri Navin Patwa, Company Secretary, M/s SAM Industries Limited, Village, Dakachya, AB Road, Tehsil: Sanwer, District-Indore (MP)

1. मेसर्स सैम इंडस्ट्रीज द्वारा ग्राम डकाचिया, तहसील सांवेर, जिला: इंदौर, (म.प्र.) में वेयर-हाउस" शिवाय लॉजिस्पेस"के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।
2. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्गमीटर से <150000 वर्ग मीटर तक ) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 729 वीं दिनांक 06.03.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 38 से 52 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 729 वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की अनुशंसा उपरांत प्रकरण पर प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि गूगल इमेज से प्रतीत हो रहा है, कि परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, SEAC द्वारा प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है परन्तु निर्माण के सम्बन्ध में कोई मत नहीं दिया गया है, अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को violation सम्बन्धित पुष्टिकरण हेतु SEAC प्रेषित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 11224/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश चन्द्रा, जूनियर मैनेजर दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 123/4, ग्राम महापुरा, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-


"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से 256 मी. पर रोड़ ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गार्डलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 1301/2013 परियोजना प्रस्तावक श्री पुरुषोत्तम पाटीदार, एम.जी.रोड़ अंजड़, तह —अंजड़ जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर/बोल्डर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), रकबा 0.95 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 22/1, ग्राम पलासिया, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

“.....कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी तारा पत्र क्र. 673 दिनांक 08.07.2003 द्वारा 10 वर्ष 2003 से 2013 तक रकबा 2.0 हेक्टेयर पर उपरांत उत्खनिपट्टे का नवीनीकरण संचालक भौमिक तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा आदेश पत्र क्रमांक 13832-33 खनिज दिनांक 25-07-2014 द्वारा रकबा 2.0 हेक्टेयर पर 10वर्ष की अवधि 04-08-2013 से 03-08-2023 तक के लिए किया गया था। इसके बाद कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक 1905 खनिज-2823 दिनांक 20-07-2023 के माध्यम से उत्खनिपट्टे का नवीनीकरण मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम 1996 के नियम 6 के तहत नियम 18 (2) में मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 23.03.2013 संशोधन के तहत रकबा 2.0 हेक्टेयर से कम कर 0.95 हेक्टेयर पर 10 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया गया।

पत्र में उल्लेख है कि खदान क्षेत्र से लगभग 50 मी. की दूरी पर शनिदेव मंदिर का भोजन कक्ष एवं लगभग 20 मी. पर निर्माणाधीन अस्पताल है, जिसकी नियमानुसार दूरी छोड़ते हुये खदान क्षेत्र 2.0 से कम कर कर 0.95 हे. कर दिया गया है, इस संबंध में परिवेजना प्रस्तावक द्वारा पुनरीक्षित माईनिंग प्लान को प्रस्तुत किया गया जो रॉक ब्रेकर पर आधारित है।

समिति द्वारा पूर्व प्रदाय पर्यावरण स्वीकृति का पर्यावरण संबंधी शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया जिसमें पाया कि खदान क्षेत्र के अंदर अल्पमात्रा में पौधारोपण किया गया है एवं सामाजिक कार्य भी आंशिक रूप से करना पाया गया। समिति ने निर्देश दिये कि शेष बचे हुये पौधारोपण कार्य को जुलाई 2014 तक पूर्ण किया जाये एवं अन्य सामाजिक कार्य एवं फेन्सिंग कार्य को अक्टूबर नवम्बर 2024 तक पूरा करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सामाजिक कार्य 0.80 लाख रुपये का प्रस्तुत किया जाँ पूर्व कार्यों के अतिरिक्त है एवं 1100 पौधे लगाये जाना प्रस्तावित है जिसे जुलाई-अगस्त 2024 में पूर्ण किये जाने की शर्तों के अनुसार उत्पादन क्षमता पत्थर बोल्डर 4200 घनमीटर/वर्ष के साथ अनुशंसित किया जाता है।.....”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729वीं बैठक दिनांक 06.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1703 दिनांक 07.11.2014 में रकबा 2.0 के स्थान पर 0.95 हे. पठन किये जाने हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ संशोधन किया जाता है तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1703 दिनांक 07.11.2014 में अधिरोपित समस्त शर्तें यथावत रहेगी।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बड़वानी का पत्र क्र. 1905 दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से 10 वर्ष के लिये लीज स्वीकृत की गई है, अतः संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 19.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले शनिदेव मंदिर का भोजनकक्ष एवं निर्माणाधीन अस्पताल से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित के शर्तों के अनुसार शेष बचे हुये पौधारोपण कार्य (1100 पौधे) को जुलाई 2014 तक एवं अन्य समाजिक कार्य (रु. 0.80 लाख) एवं फेन्सिंग कार्य को अक्टूबर नवम्बर 2024 तक पूरा किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 6233/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय श्री श्याम मिनरल्स, पुलिस स्टेशन. बम्हनी बंजार के सामने, तहसील – बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता विस्तार 50000 से 154814 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.48 हेक्टेयर, खसरा 51, 52, 53, 55/1, ग्राम भंवरताल, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) की ToR की वैधता विस्तार हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729 वी बैठक दिनांक 06.03.2024 में उक्त प्रकरण में ToR की वैधता विस्तार किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरणीय सलाहकार के उपरोक्त आवेदन को मान्य करते हुये टॉर अवधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने की अनुशंसा की जाती है। ....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 729 वी बैठक दिनांक 06.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में पुर्व में जारी ToR दिनांक 08.08.2019 में 01 वर्ष की वैधता विस्तार किया जाता है। अतः ToR की शेष शर्तें यथावत रहेगी तथा वैधता दिनांक 30.06.2024 तक वैध मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

34. प्रकरण क्र. 9934/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज प्रताप सिंह आत्मज श्री इंद्रभान सिंह, निवासी जसवंतपुरा (तमगढ़) तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म0प्र0) द्वारा फर्शी पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर 2700 व एम सेण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80, हेक्टेयर, खसरा 3838, 3839, ग्राम अतरहाई, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 661वीं बैठक दिनांक 20.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 800 वीं बैठक दिनांक 16.08.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदाने 2.5 हेक्टेयर एवं 1.0 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित है जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.30 हेक्टेयर होता जो कि बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना द्वारा दिये गये एकल प्रमाण पत्र क्र. 1651 दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से 500 मीटर की परिधि में कोई भी खदान स्वीकृत/संचालित होना नहीं बताया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, पन्ना से 15 दिवस में प्रस्तावित खदान का संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। अगर कोई खदान निष्क्रिय पड़ी है तो क्या उसका निरस्तीकरण अथवा विधिवत बसवनेमत किया गया है ? इस बाबत जानकारी दी जावे। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना का ईमेल दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल 03 खदानें हैं जिसका कुल रकबा 4.80 हे. है एवं उक्त क्षेत्र पर पूर्व से कुछ गड्डे हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 661वीं बैठक दिनांक 20.07.2023 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना का पत्र क्र. 621 दिनांक 20.05.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

35. प्रकरण क्र. 10647/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सभापति अरुमुगम मेसर्स एफकॉन इन्फ्रास्ट्रचर प्रा. लिमि. निवासी- एफकॉन हाउस, 16 शाह इन्डस्ट्रियल स्टेट, वीरा देसायी रोड, आजाद नगर अन्धेरी वेस्ट, जिला मुम्बई महाराष्ट्र द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.95 हेक्टेयर, खसरा 368/1, 368/2, 370 ग्राम घुसिया, तहसील डिण्डोरी, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

“....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 834 वी बैठक दिनांक 28.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 15.03.2024 द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत जारी किया गया है।..”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 18.03.2024 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत में उल्लेखित वैद्यता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी का पत्र क्र. 414 दिनांक 13.09.2023 अनुसार दिनांक 08.08.2023 से दिनांक 07.08.2028 (05 वर्ष) के स्थान पर दिनांक 08.02.2023 से दिनांक 07.02.2028 (05 वर्ष) अंकित होगया है जिसे संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये पूर्व मे जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत पत्र दिनांक 15.03.2024 में लीज की अवधि दिनांक दिनांक 08.02.2023 से दिनांक 07.02.2028 के स्थान पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी का पत्र क्र. 414 दिनांक 13.09.2023 अनुसार 08.08.2023 से दिनांक 07.08.2028 (05 वर्ष) पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृत की शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।..”

36. प्रकरण क्र. 10459/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गुलाब बघेल आत्मज श्री आई.बी. सिंह बघेल, निवासी 244, संजीवनी नगर, गढ़ा जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18,062 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 26 पी, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 679 वी बैठक दिनांक 14.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

“....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 811 वी बैठक दिनांक 06.10.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 17.10.2023 द्वारा ToR जारी किया गया है।..”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रकरण मे जारी ToR पत्र मे अंकित ग्राम का नाम मानेगाँव के स्थान पर ग्राम खुरसी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, को मान्य करते हुये एवं आनलाईन आवेदन एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर पूर्व मे जारी ToR पत्र दिनांक 17.10.2023 मे ग्राम का नाम मानेगाँव के स्थान पर ग्राम खुरसी पठन किये जाने हेतु

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

संशोधन किया जाता है। ToR की शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

37. प्रकरण क्र. 10875/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंश स्टोन क्रशिंग कम्पनी, पार्टनर श्री अनूप सिंह, निवासी— एन-370, मालवा काउन्टी वायपास रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 778/2, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 887, 888, 890, 891, ग्राम हतई, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 832 वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में एम सैण्ड उत्पादन क्षमता 75000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 714वीं बैठक दिनांक 18.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 05.03.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ एम सैण्ड उत्पादन क्षमता 75000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


38. प्रकरण क्र. 9347/2022 — परियोजना प्रस्तावक एम.के.एस. इंजीनियरिंग कंपनी, प्रा.लि., निवासी 01, नमक कोठी, नार्थ सिविल लाईनस, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 24997 व मुरुम 8384 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.30 हेक्टेयर, खसरा 19/1 भाग, ग्राम घुटिया, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 711वीं बैठक दिनांक 09.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान पूर्व से ही खुदी हुई परिलक्षित है जिसके संबंध में लीज स्वीकृति आदेश में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उक्त क्षेत्र में पूर्व में किसके द्वारा खनन किया गया है। अत्र कलेक्टर, जिला जबलपुर से उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 843वीं बैठक दिनांक 05.04.2024  
का कार्यवाही विवरण


किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर का ईमेल दिनांक 30.03.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र में दिनांक 22.05.2017 से 01 वर्ष की अवधि के लिये सड़क निर्माण हेतु अस्थई अनुज्ञा मेसर्स धतरवाल कन्सल्ट्रक्शन प्रा. लि. के पक्ष में स्वीकृत थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 711वीं बैठक दिनांक 09.01.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर का पत्र क्र. 2503 दिनांक 16.08.2021 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.08.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


39. प्रकरण क्र. 10869/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल शिवहरे आत्मज श्री स्वामीदीन शिवहरे, निवासी- वार्ड नं. 06, ग्राम बारीगढ़, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.81 हेक्टेयर, खसरा नं. 1881, ग्राम मुड़हरा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 832 वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा ToR जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 23.03.2024 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा जारी ToR में एम सैण्ड उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 714वी बैठक दिनांक 18.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व में जारी ToR पत्र दिनांक 01.03.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ एम सैण्ड उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। ToR दिनांक 01.03.2024 की शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

40. प्रकरण क्र. 10870/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप अग्निहोत्री आत्मज श्री रामनारायण अग्निहोत्री, निवासी— गिरधरलाल मंदिर के पास, नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 1/2/2ख, ग्राम मुड़वारा, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 832 वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा ToR जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 23.03.2024 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा जारी ToR में एम सैण्ड उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 714वीं बैठक दिनांक 18.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व में जारी ToR पत्र दिनांक 01.03.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ एम सैण्ड उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। ToR दिनांक 01.03.2024 की शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

41. प्रकरण क्र. 10879/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीराम स्टोन क्रेशिंग कम्पनी, पार्टनर श्री शंकरलाल पंजवानी, निवासी— 30 चेतक कॉम्प्लेक्स, जो-2, एम.पी. नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.45 हेक्टेयर, खसरा 620/1/1/1, 620/1/1/2, ग्राम परवलिया सड़क, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 832 वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 18.03.2024 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत में उल्लेखित वैद्यता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल का पत्र क्र. 2131 दिनांक 24.08.2016 से उ दिनांक 15.05.2026 (10 वर्ष) के स्थान पर दिनांक 18.11.2015 से दिनांक 17.11.2025 अंकित होगया है जिसे संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये पूर्व में जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत पत्र दिनांक 01.03.2024 में लीज की अवधि दिनांक 18.11.2015 से दिनांक 17.11.2025 के स्थान पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल का पत्र क्र. 2131 दिनांक 24.08.2016 अनुसार दिनांक 15.05.2026 तक वैध मान्य रहेगी पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृत की शर्तें एवं वैद्यता यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

42. प्रकरण क्र. 10503/2023 परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि. अधिकृति व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 72000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 4, 33, ग्राम रसपुर, तहसील ब्यौहरी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 835 वी बैठक दिनांक 29.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 15.03.2024 द्वारा पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत में उल्लेखित खसरा क्र. 4 एवं 33 के स्थान पर खसरा क्र. 433 अंकित हो गया है जिसे संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये एव प्रस्तुत आनलाईन दस्तावेजों के आधार पर पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृत पत्र दिनांक 15.03.2024 में खसरा क्र. 433 के स्थान पर खसरा क्र. 4 एव 33 पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृत की शर्तें एवं वैद्यता यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।..

43. प्रकरण क्र. 10678/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय भोपाल, निवासी-अपोलो पैराडाईस, बावडिया कलां, नियर मिनाल इन्क्लेव, गुलमोहर, हुजूर भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 49500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 63 ग्राम बडगांव – 3, तहसील, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 836 वी बैठक दिनांक 01.03.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.03.2024 द्वारा पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत में उल्लेखित खसरा क्र. 01 के स्थान पर खसरा क्र. 63 अंकित हो गया है जिसे संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये एव प्रस्तुत आनलाईन दस्तावेजों के आधार पर पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृत पत्र दिनांक 16.03.2024 में खसरा क्र. 63 के स्थान पर खसरा क्र. 01 पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृत की शर्तें वैद्यता यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



44. प्रकरण क्र. 10805/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश शर्मा आत्मज श्री श्रीधर शर्मा, निवासी-म.नं. 105, शंकर गार्डन, अयोध्या बायपास रोड़, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 239/222, ग्राम शाहपुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 828 वी बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.02.2024 द्वारा ToR जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से ToR में उल्लेखित परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री अभिषेक पाल के स्थान पर श्री अभिषेक राय अंकित हो गया है जिसे संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये एव प्रस्तुत आनलाईन दस्तावेजों के आधार पर पूर्व मे जारी ToR पत्र दिनांक 16.02.2024 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री अभिषेक राय के स्थान पर श्री अभिषेक पाल पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है। ToR पत्र दिनांक 16.02.2024 की शर्तें एवं वैद्यता यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष